9/7/24
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।
PO साहब दौरान कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/7/24
को पेश हो।

मुकदमा नम्बर– 164/20..
निर्मला बनाम गणपत वगै..

31/07/2024 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण 1, 6, 7 की ओर से श्री होशियार सिंह बड़सरा एडवोकेट उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों के बताया है वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। उभय पक्षकारान को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कर्न्फम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है की पूर्व में दिनांक 25.04.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कर्न्फम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.03.26 10:30:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner